

क्र./स्थापना/जिविसेप्रा/232/2026,

उज्जैन दिनांक:- 13/05/2026

**// संविदा भर्ती विज्ञापन //**

**जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन अंतर्गत संविदा वाहन चालक भर्ती हेतु विज्ञापन**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्र.फा.नं. 337/स्था./राविसेप्रा/126/2026 जबलपुर दिनांक 09.04.2026 के पालन में बहुउपयोगी/शासकीय वाहन के लिए संविदा वाहन चालक के 01 पद की संविदा अनुबंध आधारित नियुक्ति (02 वर्ष संविदा अवधि) हेतु संविदा आधार पर ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त संविदा भर्ती हेतु सेवा भर्ती शर्त निम्नानुसार होगी :-

01- आवेदक भारत का नागरिक हों।

02- आवेदक, आवेदन की अंतिम दिनांक 12.06.26 को आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हों।

03- अन्य विवरण:-

स. क्र	पद का नाम	पदों की संख्या	कार्यालय का नाम	मासिक मानदेय	न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता	वांछनीय अर्हता	आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।
1	संविदा वाहन चालक	01 पद	कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन	13000/- प्रतिमाह	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण। 2. वैध चार पहिया ड्रायविंग लाईसेंस 3. चार पहिया वाहन चलाने का अनुभव।	ऐसे आवेदक जो योग्य मैकेनिक भी हो उन्हें चयन में वरीयता दी जावेगी	13.05.26	12.06.26

04- संविदा मासिक मानदेय:-

उज्जैन जिले अंतर्गत "श्रेणी-बी" हेतु 02 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के लिए संविदा मानदेय राशि 13,000/- मासिक आधार पर देय होगा।

A- भर्ती मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा भर्ती नियम 2009 के नियम 06(2) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता एवं शर्तों अनुसार की जावेगी।

B- यह संविदा नियुक्ति हेतु अनुबंध प्रारंभ में 02 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन अच्छे आचरण और निरंतरता की आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। संविदा अवधि के पश्चात नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

C- संविदा चालक की सेवायें, संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर या एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा करते हुए त्यागपत्र दे सकेगा।

D- संविदा चालक के कार्यों की कार्य मूल्यांकन समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा और संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने अथवा अनुशासन के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

E- संविदा चालक को नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी।


आवेदन का प्रेषण:—

आवेदन का प्रारूप कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन से तथा जिला न्यायालय उज्जैन की आधिकारिक वेबसाईट <https://ujjain.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/> से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को अपना आवेदन मय आवेदन पत्र एवं आवश्यक समस्त दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों 02 रंगीन पासपोर्ट वर्तमान फोटो सहित लिफाफे के उपर पद का नाम जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा अंकित किया जाकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन को संबोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन एडीआर सेंटर भवन, जिला न्यायालय परिसर जिला उज्जैन-म.प्र. में निर्धारित प्रारूप में अंतिम दिनांक 12/06/2026 को सायं 05:00 बजे तक आवश्यक रूप से जमा किया जाना होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा उक्त आवेदन स्वमेव ही निरस्त माने जावेगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा।

☑ भर्ती प्रक्रिया हेतु साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्रायविंग परीक्षा की सूचना पृथक से इस कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिला न्यायालय उज्जैन की आधिकारिक वेबसाईट <https://ujjain.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/> पर अपलोड की जावेगी।

☑ उक्त भर्ती पूर्णतः संविदा अनुबंध एवं मानदेय के आधार पर है वेतन के आधार पर नहीं अतः भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः संविदा आधारित अनुबंध के आधार पर होने से नियमित शासकीय पदों, शासकीय वेतन, भत्ते एवं किसी भी शासकीय सुविधा का दावा मान्य नहीं होगा।

☑ अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर उज्जैन में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं।



(मनोज कुमार भाटी)

न्यायाधीश/सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
उज्जैन म.प्र.)